महत्वपूर्ण एवं खास

सभी सुरक्षा मानकों और सावधानियों का पालन करते हुए स्वीकृत मनरेगा कार्यों के संचालन के निर्देश

» पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जारी की मार्गदर्शिका

रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए, गांवों में जारी मनरेगा कार्यों को संक्रमण से बचने के सभी उपायों और सावधानियों का पालन करते हुए संचालित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परिपत्र एवं मार्गदर्शिका जारी कर इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार ग्राम पंचायतों के सचिव और रोजगार सहायकों को मनरेगा कार्यस्थल पर काम की शुरूआत एवं कार्य समाप्ति के बाद साबुन व पानी से मजदूरों के हाथ धुलवाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छताग्राहियों, स्वसहायता समूहों की महिलाओं और जागरूक ग्रामीणों के माध्यम से श्रमिकों को घर पर भी हाथों की लगातार सफाई के बारे में प्रेरित करने कहा गया है। मजदूरों को व्यक्तिगत उपयोग और पसीना पोंछने के लिए खुद का ही साफ-सुथरा गमछा या तौलिया इस्तेमाल करने कहा गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा श्रमिकों को कार्य के दौरान साथी श्रमिकों से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर रखने और कार्यस्थल पर मजदूरों की अनौपचारिक सामूहिक गतिविधियों को टालने कहा गया है। किसी मजदूर को बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने कहा गया है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए मजदूर को तत्काल होम-आइसोलेशन में रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान चिकित्सकों की सलाह के अनुसार इसके मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाया जाए। संक्रमण के खतरे की संभावना वाले मजदूरों को मनरेगा कार्यों में नियोजित नहीं करने के भी निर्देश विभाग ने दिए हैं।

स्वास्थ्य सचिव ने विदेश से लौटने की जानकारी छिपाने वालों पर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक को लिखा पत्र

रायपुर। स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने पिछले एक माह के दौरान विदेश से लौटने की जानकारी छिपाने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य सचिव ने पुलिस महानिरीक्षक को लिखे पत्र में कहा है कि नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग की जानकारी में यह बात आई है कि विदेश प्रवास से लौटने वाले कई लोग बिना कोई सूचना दिए अपने घरों में चले गए हैं। विभाग के पास उनकी कोई जानकारी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले एक माह के भीतर विदेश से लौटने वाले ऐसे यात्रियों जिन्होंने हेल्पलाइन नंबर 104 के माध्यम से जानकारी नहीं दी है, विदेश यात्रा की बात छुपाने वाले ऐसे लोगों के बारे में यदि किसी अन्य माध्यम से जानकारी मिलती है, तो उनके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270 व 188 तथा एपेडेमिक एक्ट, 1897 के सेक्शन 3 की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक से अनुरोध किया है।

पीडीएस वस्तुएं, धान की मिलिंग, डीजल-पेट्रोल, एलपीजी सहित कई सेवाओं को राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा किया घोषित

» खाद्य विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम हेतु किए जा रहे उपायों के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं, धान की मिलिंग, डीजल-पेट्रोल, एलपीजी सहित कई सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया है। खाद्य विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत जिन सेवाओं को आवश्यक सेवायें घोषित किया गया है। उनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं एवं उनके उपार्जन एवं भण्डारण में आवश्यक सामग्रियों जैसे बारदाने, सल्फास, कीटनाशक, डनेज आदि के संचालन, भण्डारण और वितरण को इसमें शामिल किया गया है।

थाना चक्रधरनगर अंतर्गत मां शाकंम्बरी स्टील प्लांट अग्रिम आदेश तक सील

» नोवल कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण को लेकर औद्योगिक संस्थान में बरती जा रही थी लापरवाही

» एसडीएम रायगढ़ एवं थाना प्रभारी चक्रधरनगर की संयुक्त कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला कलेक्टर रायगढ़ एवं पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के दिशा निर्देशन पर आज एसडीएम रायगढ़ एवं थाना प्रभारी चक्रधरनगर की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम संबलपुरी स्थित शाकम्बरी स्टील प्लांट को अग्रिम आदेश तक सील किया गया है।

विदित है कि छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 23.03.2020 को समस्त कलेक्टर एवं समस्त मुख्य महाप्रबंधक प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक संस्थानों में नोबेल कोरोनावायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में प्रमुख सचिव द्वारा अधोहस्ताक्षरित निर्देश जारी किया गया था जिसके अनुसार भारत शासन द्वारा वह इकाई जो आवश्यक सेवाओं की सूची में अनुमत हो यह जैसे खाद्य प्रसंस्करण, चिकित्सा से संबंधित आवश्यक दवाएं एवं उपकरण से संबंधित औद्योगिक संस्थानों सेवाओं का प्रचलन किए जाने निर्देशित किया गया था। साथ ही शेष औद्योगिक संस्थानों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उत्पादन एवं संचालन बंद कराने के निर्देश दिए गए थे जिस के परिपालन में आज जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के दिशा निर्देशन पर थाना चक्रधरनगर अंतर्गत ग्राम संबलपुरी स्थित मां शाकम्बरी स्टील प्लांट में कार्य होने की सूचना पर एसडीएम रायगढ़ आशीष देवांगन एवं थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक विवेक पाटले अपने स्टाफ के साथ मां शाकम्बरी प्लांट जाकर तस्दीकी किया गया। प्लांट में कार्य पूर्व की भांति अनवरत जारी मिला जिसे एसडीएम रायगढ़ द्वारा पंचनामा कर सील किया गया है। साथ ही पृथक से थाना चक्रधरनगर में अपराध पंजीबद्ध की कार्यवाही की जा रही है।

» बिहान से जुड़ी महिलाएं बनी मास्क दीदी

मास्क की कमी को पूरा करने बना रही है रियायती व रियुसेबल कॉटन मास्क

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस के चलते बने हालातों और बाजार में मास्क की मांग के अनुरूप पूर्ति में कमी को देखते हुए रायगढ़ जिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा मास्क का निर्माण किया जा रहा है।

सिलाई कार्य से जुड़ी स्व-सहायता समूह कि महिलाएं रियुसेबल कॉटन मास्क बना रही हैं। जिला स्तर पर वृहत पैमाने पर निर्माण कर आपूर्ति हेतु एक माकूल सप्लाई चैन व्यवस्था बनायी गयी है। जिसके तहत जिले के समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वे इन समूहों तक मांग को पहुंचाने तथा निर्मित मास्क के आपूर्ति में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। जिला स्तर पर भी विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, वन, महिला बाल विकास, ट्रेजरी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए इन समूहों के माध्यम से मास्क खरीदा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि तमनार विकासखण्ड की महिलाएं जिंदल उद्योग से कच्चा माल लेकर मास्क का निर्माण व सप्लाई कर रही हैं। इसी प्रकार पुसौर विकासखण्ड में मेडिकल संचालकों से अनुबंध कर लोगों को रियायती दरों पर मास्क की आपूर्ति की जा रही है। विकास खण्ड घरघोड़ा में महत्वपूर्ण पहल किया गया है जहां सभी अति आवश्यक सेवा में संलग्न विभागों के कर्मचारियों के लिए मास्क की आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में भी सरपंचों पंचों से भी इस संबंध में बात की गई है। इसके साथ ही ग्राम वासियों को इन परिस्थितियों में मास्क के महत्व तथा उपयोग करने के तरीके को लेकर जागरूक किया जा रहा है। गौरतलब है कि जिले के 51 महिला स्व-सहायता समूह द्वारा 6798 मास्क का निर्माण किया जा चुका है तथा और भी मास्क लगातार बनाये जा रहे है।

सुकमा जिले के 61 पुलिस जवानों को मिला आउट ऑफ टर्न प्रमोशन

रायपुर। नक्सलियों के विरूद्ध अदम्य साहस का परिचय देने पर सुकमा जिले के 61 पुलिस जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। इसका आदेश पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी ने जारी किया है। उन्होंने कहा है कि नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिसकर्मी विपरीत परिस्थितियों में भी साहस के साथ नक्सलियों से मुकाबला कर रहे हैं। सुकमा जिले में विभिन्न पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में उक्त कर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का आदेश जारी किया गया है। श्री अवस्थी ने बताया कि नक्सल प्रभावित अन्य जिलों में भी अदम्य साहस का परिचय देने वाले पुलिस कर्मियों के लिए शीघ्र ही इसी तरह पदोन्नति आदेश जारी किए जाएंगे। जिले के पुलिसकर्मियों को निरीक्षक, कमांडर, कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, सहायक उप निरीक्षक एवं प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई है। पदोन्नति पाने वालों में बृज लाल, आशीष प्रताप, लखेश केवट, विजय प्रताप, कृष्ण चंद्र, नितेश ठाकुर, विकाश प्रताप, टंकेश्वर लहरे, राकेश सिंह, श्यामनाथ, पुखराज, नवरल, सुबोध, विश्वनाथ यादव और नागेश्वर कोरोम शामिल हैं।

अति आवश्यक उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योगों को बंद करने के निर्देश

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के मद्देनजर राज्य शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा खाद्य प्रसंस्करण, चिकित्सा, दवाईयों तथा उपकरण को छोड़कर अन्य उद्योगों के उत्पादन तथा संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल उद्योगों जैसे-खाद्य प्रसंस्करण, चिकित्सा और आवश्यक दवाईयों तथा उपकरण से संबंधित संस्थानों और सेवाओं का संचालन करने तथा शेष औद्योगिक संस्थानों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उत्पादन एवं संचालन बंद किया जाए।

इनमें ऐसे संस्थान शामिल नहीं है, जिनमें उत्पादन की प्रक्रिया लगातार चलती हो यथा ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया से लौह निर्माण आदि। सभी कलेक्टरों और जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधकों को जारी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक संस्थानों में कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता तथा देश एवं प्रदेश में इस संक्रमण विस्तार के खतरे को ध्यान में रखते हुए इसकी रोकथाम के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में स्थापित समस्त औद्योगिक-व्यापारिक इकाईयों को निर्देशित किया गया है।

केवल उन इकाईयों जो भारत शासन द्वारा आवश्यक सेवाओं की सूची में अनुमत हो, यथा-खाद्य प्रसंस्करण, चिकित्सा से संबंधित आवश्यक दवाएं एवं उपकरण से संबंधित औद्योगिक संस्थानों-सेवाओं का प्रचलन किये जावे। शेष औद्योगिक संस्थानों (उन संस्थानों को छोड़कर जिनमें उत्पादन प्रक्रिया अनवरत प्रकृति की हो यथा-ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया से लौह निर्माण) को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उत्पादन एवं संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

» कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के उपायों के दौरान आम जनता को नही होगी कोई कठिनाई

छत्तीसगढ़ सरकार के राहत भरे फैसले

न्याय साक्षी/रायगढ़। राज्य शासन द्वारा कोरोना वाइरस का फैलाव रोकने के लिये युद्धस्तर पर किये जा रहे प्रयासों के साथ आम जनता की सहूलियत का भी पूरी संवेदनशीलता से ध्यान रखा गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर आम जनता के लिए अनेक कल्याणकारी फैसले लागू किये गए हैं। इन फैसलों से गरीबों, स्कूली बच्चों, आम नागरिकों और व्यापारी वर्ग सहित सभी लोगों को 31 मार्च तक लॉक डाउन के दौरान बड़ी राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं वे इस प्रकार हैं।

राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशनकार्डधारकों को अप्रैल एवं मई माह 2020 का चावल का एकमुश्त वितरण करने का निर्णय लिया है। इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा आबंटन जारी करते हुए अंत्योदय, प्राथमिकता और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को माह अप्रैल एवं मई 2020 के चांवल के साथ नमक और शक्कर का भी एकमुश्त वितरण माह अप्रैल 2020 में करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

नगर निगम द्वारा शहर में सब्जी, दूध व अण्डे विक्रय के लिए 24 स्थान चिन्हांकित

» चिन्हित स्थानों पर प्रातः 5 से 9 बजे तक ले सकते है सामग्री »
क्रेता व विक्रेता को सामाजिक दूरी के निर्देशों का करना होगा पालन

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार आयुक्त नगर निगम राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने कोरोना वायरस के देशव्यापी संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के चलते लोगों को सब्जी, अण्डा एवं दूध की कमी न हो इसके लिए आवश्यक व्यवस्था बनाने हेतु महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

जिसके तहत रायगढ़ नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत चिन्हांकित 24 स्थानों में व्यापारी प्रातः 5 बजे से 9 बजे तक कुल 4 घंटे स्टाल लगाकर उक्त सामग्रियों का विक्रय कर सकते है। सब्जी विक्रेता उक्त स्थलों में सब्जी के दो स्टाल लगायेंगे, इसके साथ एक-एक स्टाल दूध व अण्डे के लिए भी लगाया जायेगा। एक स्टाल से दूसरे स्टाल के बीच की दूरी कम से कम 10 फीट होगी। इस दौरान विक्रेताओं तथा खरीददारों को एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर रखनी होगी। रायगढ़वासियों से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने अनुरोध किया है कि उक्त अवधि में किराना सामान की खरीदी भी कर लेवे। जिससे बार-बार घर से निकलने से होने वाली असुविधा से बचा जा सके।

यह आदेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा। नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत जिन जगहों पर स्टाल लगाने हेतु आदेशित किया गया है इनमें शहर के हण्डी चौक, सत्तीगुड़ी चौक, कोतरा रोड थाना के पास, दशरथ पान ठेला के पास, कांग्रेस कार्यालय स्टेशन चौक, गांधी गंज, अंबेडकर चौक, इतवारी बाजार, हेमु कालोनी चौक, चक्रधर नगर चौक, मिनी माता चौक, टीवी टॉवर के पास, केवड़ा बाड़ी चौक, चांदनी चौक, राजापारा राजमहल के पास, अटल चौक, चांदमारी चौक, काशीराम चौक, विजयपुर चौक, ढिमरापुर चौक, न्यू प्रतीक्षा बस स्टैण्ड जूटमिल एवं भगवानपुर चौक शामिल है।

छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें एक मई से होंगी लागू

इस संबंध में सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंजीयकों को पत्र जारी किये

रायपुर। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के विस्तार की रोकथाम के उपायों के तहत वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें जो एक अप्रैल से लागू होती है।

उसे बढ़ाकर अब एक मई कर दिया गया है। पंजीयन कार्यालयों में मार्च के माह में होने वाली भीड़ की समस्या को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम-2000 के तहत प्रतिवर्ष एक अप्रैल को जारी किये जाने वाले गाईड-लाईन दरों के प्रभावशीलता तिथि में वर्ष 2020-21 के लिए एक माह की वृद्धि की गई है। वर्ष 2020-21 के लिए बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें एक मई 2020 से प्रभावशील होंगी। इस संबंध में सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंजीयकों को पत्र जारी करते हुए इस समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

रायगढ़ जिला सीमा क्षेत्र में 31 मार्च 2020 तक रहेगी पूर्णतया तालाबंदी

» कलेक्टर ने जारी किया आदेश आवश्यक सेवाएं रहेंगी चालू

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी यशवंत कुमार ने 31 मार्च 2020 तक रायगढ़ जिले के समस्त सीमा क्षेत्र में पूर्णतया तालाबंदी (लाक डाउन) करने का आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेखित है कि कोरोना (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है।

इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) से पीड़ित,संदेही से संपर्क/दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। अतः कोरोना वायरस के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संबंध में आदेश प्रसारित किए गए है। महामारी रोग अधिनियम 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रायगढ़ के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 31 मार्च 2020 रात्रि 12 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉक डाउन)की जाती है एवं इस क्रम में रायगढ़ जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 रात्रि 12 बजे तक रोक लगाई जाती है। यह भी आदेशित किया जाता है कि जिले के समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे। परंतु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। जिले के समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुएं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवादित स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।

आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है। किसी भी माध्यम (सड़क, रेल एवं अन्य माध्यम)से जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। अन्तर जिला बस के परिवहन को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। रायगढ़ जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले के सीमा से बाहर जाने पर प्रतिबंधित किया जाता है।

भूपेश सरकार ने गरीब परिवारों को दी बड़ी राहत

» अप्रैल और मई माह का चावल मिलेगा निःशुल्क

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के गरीब परिवारों को एक बड़ी राहत देते हुए अप्रैल और मई का चावल निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य शासन के खाद्य विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को आदेश भी जारी कर दिया गया है। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के प्रबंधन के तहत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को यह बड़ी राहत दी गई है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO N- CHH-